

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2010/TG-I/38/1

New Delhi, dated 04.09.2013

**Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 55 OF 2013)

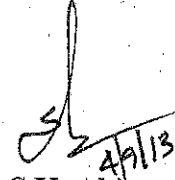
Sub: Review of Rail Tourist Agents Scheme.

At present, Rail Tourist Agents are appointed as per provisions of RTA Rules, 1980. These Rules were framed in 1980 and in the period of approximately 33 years, the scenario of reservation has changed altogether and the scheme of Rail Tourist Agents has almost lost its relevance. This is evident from the fact that at present, only 12 RTAs are functioning on Indian Railways, out of which 10 are on Northern Railway and 2 are on South Western Railway.

2. The issue regarding desirability of having Rail Tourist Agents was examined in consultation with zonal railways and it has been decided to discontinue Rail Tourist Agents Scheme.

3. It is, therefore, desired that no further action should be taken to appoint fresh Rail Tourist Agents. Moreover, the licenses of existing RTAs should not be renewed whenever they are due for renewal.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned.


(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.

- 7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार,
रेल मंत्रालय,
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/टीजी-1/38/1

नई दिल्ली, दिनांक 04.09.2013

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी जोनल रेलें.

(2013 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 55)

विषय - रेल पर्यटक एजेंट योजना की समीक्षा।

इस समय, रेल पर्यटक एजेंटों की नियुक्ति आरटीए नियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ये नियम 1980 में बनाए गए थे और लगभग 33 वर्षों की अवधि में आरक्षण का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है और रेल पर्यटक एजेंटों की योजना की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो गई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि फिलहाल भारतीय रेलों पर केवल 12 आरटीए काम कर रहे हैं जिनमें से 10 उत्तर रेलवे और 2 दक्षिण पश्चिम रेलवे में हैं।

2. क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से रेल पर्यटक एजेंटों को रखने की वांछनीयता से संबंधित इस मामले की जांच की गई और रेल पर्यटक एजेंट योजना को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः, यह इच्छा व्यक्त की जाती है कि नए रेल पर्यटक एजेंटों को नियुक्त करने के लिए आगे कोई कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा, मौजूदा आरटीए के लाइसेंस, जहां कहीं इनका नवीकरण किया जाना है, का नवीकरण न किया जाए।

4. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।



(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, एफ(सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।

- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक रोड, लखनऊ-226001।
- 8) महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10) महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71